सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 216 राँची, मंगलवार, 21 चैत्र, 1938 (श०)

11 अप्रैल, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 मार्च, 2017

संख्या-एल०जी०-04/2017-40/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 20 मार्च, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

(झारखंड अधिनियम संख्या-08, 2017)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु अधिनियम - भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

(i) यह संशोधन अधिनियम ‘‘झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

अध्याय - 2

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) को निम्नवत संशोधित किया जाता है -

1. धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) के उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

वर्त्तमानधारा (3) की उपधारा (1) का प्रावधान :-

‘‘इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे -

a) बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल पर होगी ।

b) जय प्रकाश विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय छपरा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण सारण प्रमंडल पर होगी ।

c) तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय भागलपुर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल पर होगी ।

d) सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दुमका में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दुमका प्रमंडल पर होगी ।

e) राँची विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय राँची में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी ।

f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी ।

बशर्त्ते कि होमियोपैथी, स्वदेशी दवाइयाँ संबंधी शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा ऐसी भाषाओं जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में शैक्षिक उत्कृटता प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिकारिता सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगी ।

g) मगध विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय बोधगया (गया) में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मगध प्रमंडल (वैसे महाविद्यालयों को छोड़कर जो पटना विश्वविद्यालय, पटना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) और पटना प्रमंडल के नालन्दा जिला पर होगी ।

h) वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय आरा में होगा और जिसकी अधिकारिता पटना प्रमंडल के पटना तथा नालन्दा जिलों को छोड़कर अन्य भागों पर होगा ।

i) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल पर होगी ।

j) भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मधेपुरा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण कोशी तथा पूर्णिया प्रमंडल पर होगी ।

k) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी ।

l) मौलाना मजहरूल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पटना तथा अरबी एवं फारसी में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी ।

m) नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण पलामू प्रमंडल पर होगी ।

n) कोल्हान विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय चाईबासा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण कोल्हान प्रमंडल पर होगी ।

बशर्त्ते कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कार्य एवं कर्त्तव्य का निर्धारण कर सकेगी ।

बशर्त्ते यह भी कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र को बदल सकेगी ।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो -

1. धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा(1) का प्रतिस्थापन :-

"(a) विलोपित"

"(b) विलोपित"

"(C) विलोपित"

"(f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा ।"

"(g) विलोपित"

"(h) विलोपित"

"(i) विलोपित"

"(j) विलोपित"

"(k) विलोपित"

"(l) विलोपित"

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के धारा(3) की उपधारा(1) के अंत में,निम्नलिखित उपधारा को उपधारा-1(O) के रूप में समावेशित किया जायेगा :-

"3(1)(O) विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय धनबाद में होगा और जिसकी अधिकारिता पूरे बोकारो तथा धनबाद जिलों पर होगा ।"

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के धारा (3) की उपधारा-1(O) के अंत में, निम्नलिखित उपधारा को उपधारा 1(P) के रूप में समावेशित किया जायेगा:-

"3(1)(P) राँची कॉलेज को उत्क्रमित कर डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविधालय, राँची, जिसका मुख्यालय राँची होगा ।"

2. धारा 10 (कुलपति) की उपधारा (1) में समावेशन

उपधारा 10(1) का वर्त्तमान प्रावधानः-

"ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के कार्यालय के लिए योग्य नहीं होगा जो कि कुलाधिपति के राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षिक अभिरूचि के लिए विख्यात नही हो ।"

निम्नलिखित प्रावधान इसमें समावेशित हो -

"इसके आगे, यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार के स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय के स्तरपर प्रशासकीय अनुभव हो ।"

3. धारा 12A(वित्तीय सलाहकार) की उपधारा (I) का प्रतिस्थापन :-

उपधारा 12A (1) का वर्त्तमान प्रावधान :

"वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा । उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी के पुर्नःनियोजन के द्वारा कुलाधिपति करेंगे, जबतक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकेंगें ।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो :-

"वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा । उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी, या झारखण्ड

वित्त सेवा के सहायक आयुक्त के पद से नीचे नहीं के अधिकारी का पुर्नःनियोजन कुलाधिपति करेंगे। जबतक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकेंगें ।''

4. धारा 57 की उपधारा 57(2) (b) में समायोजन :-

धारा 57 (2) (b) का वर्त्तमान प्रावधान :

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगी । विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी, परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा ।

बशर्त्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा ।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

''विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो-तद्नुसार एक प्वाइन्ट स्केल के अन्तर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों बशर्त्ते, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएच०डी० डिग्री के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि नियमन 2009 के अनुरूप डिग्री प्रदान हुई है, को नेट/जेट की पात्रता शर्त्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी ।

इसके बावजूद भी **''दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम. फिल./पीएच०डी० हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच०डी० डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत्त शर्त्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्त्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः-**

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच०डी० डिग्री प्रदान की गई हो ।

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो ।

(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो ।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच०डी० शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

(ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच०डी० शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियाँ सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दी हैं।

उपरोक्त (क) से लेकर (ङ) कुलपति/प्रति कुलपति/डीन (अकादमिक मामले)/डीन (विश्वविद्यालय अनुदेश) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।"

साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा । एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक मान्य होगी । विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति की दोगुनी होगी परन्तु आयोगएक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा ।

बशर्त्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण नियम के अनुरूप तैयार एवं भेजे गये आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 मार्च, 2017

संख्या-एल०जी०-04/2017-41/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को अनुमत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) Act, 2017

(JHARKHAND ACT, 08, 2017)

AN ACT
TO AMEND THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT, 2000 (ADOPTED)

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 68th year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER - 1

Preliminary

1. Short title, Jurisdiction and Commencement –
    - i. This Act may be called “The Jharkhand State Universities (Amendment) Act, 2017.”
    - ii. Its Jurisdiction will be whole of the State of Jharkhand.
    - iii. It shall come in force at once.

CHAPTER – 2

The Jharkhand State Universities Act-2000 (Adopted) is amended as follows:-

1. Substitution of sub section (1) of section **3- (Establishment and incorporation of Universities):-**

    The existing provision in sub-section (1) of Section 3:- The following Universities shall be established from the date of commencement of this Act:-

(a) Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Bihar University having the headquarter at Muzaffarpur and the jurisdiction over the whole of the Tirhut Division.

(b) Jai Prakash University having the headquarter at Chapra and the jurisdiction over the whole of the Saran Division.

(c) Tilka Manjhi Bhagalpur University having the headquarters at Bhagalpur and the jurisdiction over the whole of the Bhagalpur Division.

(d) Sido-Kanhu Murmu University having the headquarters at Dumka and the jurisdiction over the whole of the Dumka Division.

(e) Ranchi University having the headquarters at Ranchi and the jurisdiction over the whole of the South Chhotanagpur Division.

(f) Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chhotanagpur Division.

[Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in matters pertaining to educational institutions imparting teaching in Homeopathy, Indigenous medicines and educational institutions imparting academic distinction in Sanskrit, Pali, Prakrit and such other languages which the University may consider necessary.

(g) Magadh University with headquarters at Bodhgaya (Gaya) and the jurisdiction over the whole of the Magadh Division and (excluding the Colleges falling under the jurisdiction of Patna University) Patna and over Nalanda District of Patna Division.

(h) Vir Kunwar Singh University having the headquarters at Arrah and the jurisdiction over the remaining parts of the Patna Division excluding Patna and Nalanda Districts.

(i) Lalit Narain Mithila University having the headquarters at Darbhanga and the jurisdiction over the whole of the Darbhanga Division.

(j) Bhupendra Narain Mandal University having the headquarters at Madhepura and the jurisdiction over whole of the Koshi and Purnea Division.

(k) Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University having the headquarters at Dharbhanga and the jurisdiction over the whole of the State of Bihar.

(l) Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University having the headquarters at Patna and the jurisdiction over the whole of the State of Bihar, shall, for development of higher standard studies in Arabic and Persian be established by the State Government with effect from the date of notification in the Official Gazette:

(m) Nilamber-Pitamber University having the headquarters at Medininagar and the jurisdiction over the whole of the Palamau Division.

(n) Kolhan University having the headquarters at Chaibasa and the jurisdiction over the whole of the Kolhan Division.

Provided that the State Government may, by notification, in the Official Gazette, determine the functions and other duties of the University:

Provided further that the State Government may, by notification, in the Official Gazette, change the territorial jurisdiction of the Universities.]

Be substituted by the following provision,

1. Substitution of sub section (1) of section (**3- Establishment and incorporation of Universities):-**

(a) “Deleted.”

(b) “Deleted.”

(c) “Deleted.”

(f) “Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chhotanagpur Division **excepting Bokaro and Dhanbad Districts.”**

(g) “Deleted.”

(h) “Deleted.”

(i) “Deleted.”

(j) “Deleted.”

(k) “Deleted.”

(l) “Deleted.”

At the end of the sub-section-1(n) of the Section-3 of the Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adopted) herein after referred to as the said Act, the following Sub-section will be inserted as sub-section-1(o):-

“3(1)(o), Binod Bihari Mahto Koyalanchal University having the headquarter at Dhanbad and the Jurisdiction over the whole of the Bokaro and Dhanbad Districts.”

At the end of the sub-section-1 (o) of the Section-3 of the Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adopted) herein after referred to as the said Act, the following Sub-section will be inserted as sub-section-1 (p):-

“3(1)(p), Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi through the up gradation of Ranchi College and having the headquarter at Ranchi.”

2. Addition in sub section 1 of Section **10 (Vice-Chancellor)** :-

The existing provision in sub section 10 (1):- No person shall be deemed to be qualified to hold the office of Vice-Chancellor unless such person is, in the opinion of Chancellor, reputed for his scholarship and academic interest.

Be added by the following provision

"Further, it would be desirable that the person has administrative experience either at the government or at the University level"

3. Substitution of sub section (1) of section (12) A- Financial Adviser:-

The existing Provision in sub section 12 A (1):- The Financial Adviser shall be a whole time officer. He shall be appointed by the Chancellor either on deputation or by re-employment from amongst the officers of the Indian Audit and Accounts Services or from any other Accounts Service of Government of India, until such an officer is appointed the present incumbent may continue to work as the Financial Adviser.

Be substituted by the following provision,

The Financial Adviser shall be a whole time officer. He shall be appointed by the Chancellor either on deputation or by re-employment from amongst the officers of the Indian Audit and Accounts Services or from any other Accounts Service of Government of India, **or from officers of Jharkhand State Finance Service, not below the rank of Assistant Commissioner.** Until such an officer is appointed the present incumbent may continue to work as the Financial Adviser.

4. Substitution of sub section 57 (2) (b) of section 57:-

“ The existing Provisions in Section 57(2) (b):- “For appointment of Assistant Professor in the Universities and the Constituent Colleges, the Commission shall invite applications from the candidates, who have passed the National Eligibility Test conducted by University Grants Commission/Jharkhand Eligibility Test (JET) for being considered for the appointment as Assistant Professor and on the basis of interview, shall prepare subject-wise merit list against the vacancies notified by the University/Constituent Colleges and such list shall remain valid for a period of one year from the date of its approval. The subject-wise merit list shall consist of twice the number of vacancies, but Commission shall send in order of merit only one name at a time to the University for appointment against a single vacancy:

Provided that Commission shall recommend names to the University from the merit list in conformity with the reservation roster prepared and sent by the University in accordance with law relating to reservation in appointment in force in the State."

Be substituted by the following provision,

"For appointment of Assistant Professor in the Universities and constituent colleges, commission shall invite application from the candidates having good academic record, 55% marks (an equivalent grade in a point read wherever grading systems followed, at the Master's level and qualified in the National Eligibility Text (NET) or Jharkhand Eligibility Test (JET) for being considered as Assistant Professor on the basis of interview.

Provided however, that candidates, who are have been awarded a Ph.D degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibilities of NET/JET.

"Provided, however, the award of degree to candidates registered for the M.Phil./Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinance/Bylaws/Regulations of the Institutions awarding the degree and the Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/JET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/ Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-

a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;
b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;
c) Open Ph.D. viva-voce of the candidate has been conducted;
d) Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a referred journal;
e) Candidate has made at least two presentations in conferences/ seminars, based on his/her Ph.D. work.

(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor /Dean(Academic Affairs)/ Dean (University instructions)."

The Commission shall prepare subject wise merit list against vacancies notified by the University, Constituent Colleges and such list shall remain valid for a period of one year from the date of its approval. The subject-wise merit list shall consist of twice the number of vacancies, but commission shall send in order of merit only one name at a time to the university for appointment against a single vacancy. The commission shall recommend names to the University from the merit list in conformity with the reservation roster prepared and sent by the University in accordance with law relating to appointment against vacancy.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 216--50 ।